# कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
# ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल रोसड़ा।

## अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

**मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना** के अन्तर्गत पथों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग में उचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से 2 मुहरबंद लिफाफों में (जो एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद रहेगा) जो अन्ततः लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ–2 पर अंकित किया जायेगा, निविदा आमंत्रित की जाती है । प्रथम लिफाफे (तकनीकी बीड) में जिसके ऊपर लिफाफा संख्या–1 हो, क्रमशः (1) ग्रामीण कार्य विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधन प्रमाण–पत्र की सत्यापित छाया प्रति (2) अदयत लेबर लाईसेंस की सत्यापित छाया प्रति (3) वाणिज्यकर/वैट निबंधन प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति (4) अदयतन वाणिज्यकर/वैट स्वच्छता प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति (5) अदयतन चरित्र पत्र की सत्यापित छाया प्रति (6) पैन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति (7) अभियंत्रण इकाई में कार्यरत कर्मियों की सूची एवं नियोजन के संबंध में नियोजनकर्त्ता एवं नियोजित अभियन्ता का शपथ प्रमाण पत्र (8) यंत्र संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा निविदाकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/फार्म से यंत्र/संयंत्र उपलब्ध कराने का प्रतिशपथ पत्र, साथ ही व्यवहृत होने वाले यंत्र–संयंत्रों की व्यवस्था करने संबंधी प्रमाण पत्र (9) समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा नये निबंधित निविदाकारों द्वारा किसी अन्य कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र या राष्ट्रीयकृत बैंकों से कार्यक्षमता से संबंधित प्रमाण पत्र (10) विगत पाँच वर्षो में से किसी तीन वर्ष का वार्षिक टर्न ओभर (11) साझेदारी फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एलोसियेशन की सत्यापित प्रति (12) निविदाकार के अधीन लम्बित कार्यों की राशि सहित सूची मूल में (13) अग्रधन की राशि जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवाँ निर्गम) किसान विकास पत्र अथवा सावधि 1, 2, 3 वर्षीय जमा पासबुक के रूप में हा तथा कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल रोसड़ा के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त हो, मूल में समर्पित किया जाएगा । यदि इनमें कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके तकनीकी बीड को अमान्य कर दिया जायेगा । दूसरे लिफाफे (वित्तीय बीड) में, जिसके ऊपर लिफाफा संख्या–2 लिखा हो, कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में)

अंकित किया जाएगा । दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर निविदा जमा किया जाएगा । बड़े लिफाफे को खोलने के बाद सबसे पहले लिफाफा संख्या–1 खोला जायेगा तथा अभिलेखों के जाँचोपरान्त मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति/अ0अ0 की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति (अ0अ0 को निविदा निष्पादन की प्रदत्त शक्ति के अन्दर होने पर) अंक तालिका के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा । तकनीकी निविदा में सफल निविदाकर्त्ताओं को वित्तीय बीड बाद में खोला जायेगा, जिसकी तिथि की सूचना समयानुसार दी जायेगी, तकनीकी बीड में जो निविदादाता असफल होंगे उनका वित्तीय बीड (लिफाफा संख्या–2) बिना खाले उन्हें वापस कर दिया जायेगा । विभाग ने निर्णय लिया है कि 50 लाख रूप्ये तक की लागत की योजना के लिए एक ही लिफाफे में निविदा प्राप्त किया जायेगा अर्थात प्रथम लिफाफे (तकनीकी बीड) की आवश्यकता नहीं होगी ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | विज्ञापनदाता का नाम एवं पता | : | कार्यपालक अभियन्ता, ग्रा0का0वि0,कार्य प्रमंडल रोसड़ा । |
| 2. | परिमाण विपत्र निर्गत करने की तिथि एवं समय | : | दिनांक 05.08.2010 को 1:00 बजे अपराह्न तक |
| 3. | निविदा जमा करने की तिथि एवं समय | : | दिनांक 06.08.2010 को 3:00 बजे अपराह्न तक |
| 4. | निविदा खोलने की तिथि एवं समय | : | दिनांक 06.08.2010 को 3:30 बजे अपराह्न तक |
| 5. | परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान | : | 1. कार्य0अभि0,ग्रा0का0वि0 कार्य प्रमंडल रोसड़ा (अनुमंडल नियंत्रण कक्ष, रोसड़ा)<br>2. अधीक्षक अभि0, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल दरभंगा ।<br>3. मुख्य अभि0–3 ग्रा0का0वि0, हाजीपुर, पटना |
| 6. | निविदा प्राप्त करने का स्थान | : | उपरोक्त कॉलम 5 कु अनुसार |

7.

| क्रमांक | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि (लाख में) | अग्रधन की राशि (रू0) में | परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0) में | कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भागवतपुर (एन0एच0 103) से भटगामा हरपुर बठैत पथ में सहनी टोला में आर0सी0 पुलिया निर्माण । | 11.667 | 23400.00 | 2500.00 | छः माह |
| 2 | खास टभका दक्षिण अन्तर्गत म0वि0, कोरबद्धा के निकट पुलिया निर्माण । | 24.585 | 49200.00 | 5000.00 | छः माह |
| 3 | देसुआ गाँवपुर पथ में गाँवपुर डीह के पास पुलिया निर्माण । | 15.206 | 30500.00 | 5000.00 | छः माह |
| 4 | परोड़िया कुम्हरा नाला में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण । | 19.378 | 38800.00 | 5000.00 | छः माह |
| 5 | उजियारपुर प्रखण्ड अन्तर्गत चाँदचौर मध्य विद्यालय खतवे टोल में एन0एच0–28 महावीर चौर जाने वाली पथ में पुलिया निर्माण । | 15.833 | 31700.00 | 5000.00 | छः माह |
| 6. | आकोपुर चनहा वाहा में पुलिया निर्माण । | 18.885 | 37800.00 | 5000.00 | छः माह |

8. अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए जिस जिले का पता निबंधन में अंकित है अथवा जहाँ व्यवसाय चल रहा है । व्यवसाय वाले जिले में उनके द्वारा कराये कार्यो, प्रगतिशील कार्यो एवं कार्यालय का पता से संबंधित साक्ष्य देना है । पार्टनरशीप एवं कम्पनी के मामले में क्रमशः प्राईम पार्टनर एवं प्रबंध निदेशक का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है ।

9. उपरोक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (नहीं लौटाने योग्य) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के रू॰ में जो कार्यपालक अभियन्ता के पदनाम से ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडलीय मुख्यालय में भुगतेय हो, दिया जाना होगा । किसी भी परिस्थिति में नगद राशि की प्राप्ति कर परिणाम विपत्र की विक्री नहीं की जायेगी ।

10. कार्य को विशिष्टि के अनुरूप करने हेतु आवश्यक मशीनों एवं यंत्र–संयंत्रों, गुण नियंत्रण उपकरणों के स्वामित्व प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होगा । नये व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया है कि आवश्यक मशीनों एवं यंत्र–संयंत्रों, गुण नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था निविदाता द्वारा स्वयं करनी होगा । निविदादाता अगर किसी व्यक्ति/फार्म से यंत्र–संयंत्र की व्यवस्था संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की स्थिति में विभाग द्वारा इसकी सत्यता एवं कार्यभार के संबंध में संतुष्ट हो लिया जायेगा । यदि कार्य को विशिष्ट के अनुरूप सम्पन्न करने हेतु यंत्र–संयंत्रों, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला इत्यादि एवं इन्हें स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि (हॉट मिक्स प्लांट, गुण नियंत्रण, प्रयोगशाला आदि के लिए) की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित नहीं की जाती है और इसके चलते कार्य समय पर पूर्ण नहीं होता है तो संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर पूर्व में ब्लैक है तो वह फर्म निविदा का पात्र नहीं होगा । यदि किसी फर्म का कोई पार्टनर रनींग संवेदक है तथा उनका अलग निबंधन है तो उनके नाम से निर्गत किसी भी मशीन का स्वामित्व अनुभव इत्यादि की मान्यता फर्म के लिए नहीं दी जायेगी ।

12. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है । अतः अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी ।

13. संवेदक द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा ।

14. निविदादाताओं को आवंटित कार्य से संबंधित सभी सामग्री के क्रय का प्रमाणक जिसमें उनकी विशिष्ट का स्पष्ट वर्णन हो, समर्पित करना होगा, जिसके अभाव में भुगतान रोक दिया जा सकता है ।

15. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल, प्राक्कलन एवं क्वेरी इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धा से पूर्णरूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है । इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

16. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा । इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा ।

17. संवेदक के द्वारा विविध कार्यो के लिए एकरारनामा लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ–2 पर किया जाता है तथा पथ निर्माण विभाग में संकल्प संख्या–ए0–21 नियम–8/92–6113 (ए) दिनांक 18. 11.92 से एकरारनामा प्रपत्र एफ–2 की कंडिका संख्या–23 को विलोपित माना जायेगा ।

18. विभाग के समक्ष पदाधिकारी को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्ही कार्यो को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा । इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

19. कार्यो में प्रयुक्त होने वाले 80/100 या 60/70 ग्रेड पैक्ड बिटुमेन जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदकों द्वारा स्वयं अपनी लागत पर की जायगी, जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा ˙ बिटुमेन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनीयों से ही करना होगा तथा बिटुमेन क्रय के 48 घण्टें के अंदर कैश मेमों संबंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा ।

20. निविदा में सफल संवेदक को एकरारनामा करने के उपरांत साप्ताहिक एवं मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा एवं कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् अविलम्ब कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित सूची पट्ट उसके आकार प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियन्ता के निदेशों का पालन करना होगा । इसके अतिरिक्त कार्य प्रारंभ के पूर्व कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरांत अर्थात कार्य की तीनों स्थितियों से संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करानी होगी जो उन फोटोग्राफ/सी0डी0 की जाँचोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई हेतु उन्हें संबंधित अवर प्रमण्डल पदाधिकारी को समर्पित करेगें ।

21. एकाधिक निविदाकारों से उद्धत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये एक निविदाकार के साथ ही प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।

22. निविदाकार पथ निर्माण विभाग के अधीन उपलब्ध हॉट मिक्स प्लांट एवं इक्वीपमेंट बैंक के विरूद्ध भी निविदा दे सकते हैं, जिसके लिए उन्हें तकनीकी बीड के साथ अपनी सममति एवं इक्वीपमेंट बैंक के प्रबंधक की सहमति संलग्न करनी होगी ।

23. तकनीकी बीड के मूल्यांकन में उसी संयत्र के विरूद्ध अंक दिया जायगा जो ग्रामीण कार्य विभाग या पथ विभाग के कार्यपालक अभियन्ता स्तर के पदाधिकारी से निविदा तिथि के छः माह पूर्व की अवधि में भौतिक रूप में सत्यापित होगें । ऐसी स्थिति नहीं होने पर यंत्र संयंत्र (गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उपकरणों के साथ) का सत्यापन निविदा प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यपालक अभियन्ता दुबारा सम्वेदक को सूचना देकर करना होगा । सूचना देने के बाद भी जो सम्वेदक भौतिक सत्यापन में सहयोग नहीं करेगें उनकी मशीनों के विरूद्ध कोई अंक दिया जायगा और यह माना जायगा कि मशीन उनके पास उपलब्ध नहीं है ।

24. जिस सम्वेदक के आचरण प्रमाण पत्र में वैध अवधि अंकित है, उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करने पर आचारण प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायगी । जिस सम्वेदक की वैध अवधि उल्लेखित नहीं है उसकी मान्यता आचारण प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि से छः माह मानी जायगी ।

25. जिस निविदा में मूल निर्माण कार्य के साथ 5 वर्षो के लिए संधारण मद का कार्य भी करने का प्रावधान होगा ऐसे मामले में जमानत की राशि संतोषजनक कार्य पूरा होने की स्थिति में मूल कार्य की समाप्ति के 5 वर्षो के बाद ही वापस की जायेगी ।

26. राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगें ।

27. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।

28. कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित विभागीय दर से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत से कम दर की निविदा अमान्य होगी ।

29. निविदा आमंत्रण सूचना परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है ।

30. अद्योहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रद्द कर दें, जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

31. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिणाम विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त्त भी एकरारनामा का अंग होगा ।

32. निविदाकार द्वारा समर्पित किये जाने वाली सभी प्रमाण पत्र एवं कागजात उनके द्वारा स्वहस्ताक्षरित होना आवश्यक है, अन्यथा जिस कागजात पर उनका स्वहस्ताक्षर नहीं होगा उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी ।

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा

# समाचार पत्र में प्रकाशित :– (दिनांक :– 29-07-2010)

1. **Dainik Jaagran, Patna+Muzaffarpur**
2. **Hindustan, Patna+Muzaffarpur**
3. **Times of India, Patna**
4. **Pindar, Patna**